

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर में निम्नलिखित 10 अनुपयोगी वाहनों  
कमश:-

क्र.	रजि0न0	चेचिस नंबर	इंजिन नंबर
1	MP-02-AV-0907 Year 2004 Accent	MALCG-41-GR4M-109952	G4EB4A92007
2	MP-02-AV-0919 Year 2005 Hundai Accent	126707-F	109216
3	MP-02-AV-0922 Year 2005 Hundai Accent	126708	109046
4	MP-02-AV-1401 Year 2006 Accent (म0प्र0 राज्य न्यायिक अकादमी में उपलब्ध)	MALCG-41-GR6M-162874	G-4EB6M-148722
5	MP-02-AV-1407 Year 2006 Accent	MALCG-41-GR6M-162871	G-4EB6M-148700
6	MP-02-AV-1408 Year 2006 Accent	MALCG-41-GR6M-161833	G-4EB6M-148921
7	MP-02-AV-1409 Year 2006 Accent	MALCG-41-GR6M-162876	G-4EB6M-148746
8	MP-02-2457 Year 1995 Maruti Zypsi.	169770	222545
9	MP-02-2459 Year 1995 Jeep Tempo Trax. (म0प्र0 राज्य न्यायिक अकादमी में उपलब्ध)	IX-936298-M-95	616-969-136396 <b>Diesel Vehicle</b>
10	MP-02-2461 Year 1995 Jeep Tempo Trax (म0प्र0 राज्य न्यायिक अकादमी में उपलब्ध)	IX-936223-M-95	615-969-136324 <b>Diesel Vehicle</b>
11	MP-02-AV-1219 Model -1800 MPFI, Year 2006, Ambassador (यह वाहन कार्यालय: प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर म.प्र. में उपलब्ध होने के कारण नीलामी वहीं से की जावेगी)	ACF-900923	3-ELCF-102708

जिनमें से सात हुण्डई ऐसेट कार एवं एक मारुति जिप्सी कार एवं दो जीप टेम्पो देक्स जो हैं,  
जहां हैं, जैसी हैं के आधार पर सार्वजनिक नीलामी की जानी है। नीलामी हेतु नियत तिथि दिनांक  
20/2/2017 दिन सोमवार दोपहर 12.30 वजे निश्चित की गई है।

सारिणी के सरल क्र0 11 पर अंकित शासकीय वाहन क्रमांक **MP-02-AV-1219 Model -  
1800 MPFI, Year 2006, Ambassador** के नीलामी की कार्यवाही कार्यालय: प्रधान न्यायाधीश  
कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर म.प्र. में उपलब्ध होने के कारण नीलामी संबंधी कार्यवाही वहीं से की  
जावेगी।

रजिस्ट्री कार्यालय के वाहनों की नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने हेतु बोलीकर्ता को टोकन राशि रूपये 43,500/-अंकन तेतालीस हजार पांच सौ रूपये का डिमांड ड्राफ्ट, दिनांक 14/2/2016 से 16/2/2016 दिन गुरुवार के शाम 4 वजे तक रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के नाम से तैयार कर लेखा अनुभाग के कैशियर के पास जमा कराया जाना आवश्यक है। उक्त उल्लेखित तिथि 16/2/2017 दिन गुरुवार समय शाम 4 वजे के बाद किसी भी प्रकार से डिमांड ड्राफ्ट जमा किये जाने पर विचार नहीं किया जावेगा ।

अधिकतम बोली लगाये जाने वाले बोलीकर्ता को दिनांक 20/2/2017 की नीलामी प्रक्रिया में कय किये जाने वाले वाहनों की शेष राशि डिमांड ड्राफ्ट, जो कि रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर के नाम से देय हो, को नीलामी के बाद दिनांक 23/2/2017 की शाम 4 वजे तक निश्चित रूप से जमा करनी होगी । शाम 4 वजे के बाद किसी भी हालत में डिमांड ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जावेंगे ।

नोट— वाहनों के नीलामी से संबंधित विस्तृत जानकारी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट [www.mphc.gov.in](http://www.mphc.gov.in) पर उपलब्ध है ।

सही/-

(चन्द्रेश कुमार खरे)

रजिस्ट्रार प्रशासन

11/1/2017